

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 30 / 6 / 2008

संख्या- 212- 45108-1129(2)/

स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्सा पदाधिकारी के अभ्यावेदन के आधार पर निम्नांकित चिकित्सको के नाम के समक्ष स्तम्भ- 5 में अंकित जिलान्तर्गत स्थानान्तरित करते हुए पदस्थापित किया जाता है :-

क्रमांक	चिकित्सा पदाधिकारी का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन जिला	नव पदस्थापन जिला
1	डा० अनिल कुमार	Saran	औरंगाबाद	सीवान
2	डा० त्रिभुवन नारायण	Rohtas	औरंगाबाद	कैमूर
3	डा० राजेन्द्र प्रसाद यादव	Darbhanga	औरंगाबाद	अरवल
4	डा० शमसुज्जोहा अहसन	Nalanda	औरंगाबाद	गया
5	डा० लक्ष्मी शरण दुबे	W.Champ.	औरंगाबाद	पूर्वी चम्पारण
6	डा० अवधेश कुमार	Gaya	औरंगाबाद	पूर्वी चम्पारण
7	डा० चन्द्र शेखर प्रसाद	Nawada	औरंगाबाद	गया
8	डा० रामानन्द प्रसाद सिंह	Samastipur	औरंगाबाद	लखीसराय
9	डा० (श्रीमती) धर्मशीला सिन्हा	Saran	औरंगाबाद	वैशाली
10	डा० अशोक कुमार	Madhubani	औरंगाबाद	गया
11	डा० प्रेम कुमार सिन्हा	Munger	औरंगाबाद	नालन्दा
12	डा० उदय कुमार	Patana	औरंगाबाद	गया
13	डा० कृष्ण मोहन प्रसाद	Munger	औरंगाबाद	खगड़िया
14	डा० अनन्त कुमार सिंह	Nalanda	औरंगाबाद	नवादा
15	डा० नसीबन लाल	Patna	औरंगाबाद	नालन्दा
16	डा० देवेन्द्र कुमार चौधरी	Bhabhua	औरंगाबाद	पटना
17	डा० उदय शंकर झा	Bhagalpur	औरंगाबाद	बौका
18	डा० रामश्रय सिंह	Begusarai	औरंगाबाद	खगड़िया
19	डा० सुभाष चन्द्र प्रसाद	Buxar	औरंगाबाद	पटना
20	डा० बदरुद्दीन अंसारी	Rohtas	औरंगाबाद	कैमूर
21	डा० अरुण कुमार सिंह	Nalanda	औरंगाबाद	जमुई

2. जिन चिकित्सा पदाधिकारियों की सेवाओ जिलो को सौपी गयी है उनका पदस्थापन उस जिला में प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति करेंगी ।

3. सभी स्थानान्तरित चिकित्सक अपने पदस्थापन से सम्बन्धित जिले में योगदान करेंगे । तत्पश्चात् असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी से जिले के अन्तर्गत पदस्थापन के स्थान की अधिसूचना प्राप्त करेंगे और अधिसूचित स्थान पर योगदान करेंगे । अगर चिकित्सक के नाम की स्पेलिंग गलत हो तो असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी स्पेलिंग सुधार हेतु मुख्यालय को पत्र लिखेंगे लेकिन सुधार के लिए प्रतीक्षा न कर अधिसूचित स्थान पर योगदान देने का निर्देश असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी अपने स्तर ही दें देंगे ।
4. निलम्बन/न्यायालय के अन्यथा आदेश की स्थिति से सम्बन्धित चिकित्सा पदाधिकारी पर यह आदेश लागू नहीं होगा ।
5. सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि स्थानान्तरित चिकित्सा पदाधिकारियों को शीघ्र स्थानान्तरित स्थान पर योगदान करने हेतु निश्चित रूप से विरमित कर देंगे ।
6. चूंकि इनका पदस्थापन अभ्यावेदन के आधार पर हो रहा है इसलिए यात्रा भत्ता नहीं देय होगा ।
7. संबंधित प्रमंडलीय आयुक्तों से अनुरोध होगा कि पदस्थापन के जिले के अन्तर्गत रिक्तियों पर योग्यता एवं आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पदस्थापन करें ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(प्रमोद कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक - 2/टी-45108-1129(2)

पटना, दिनांक 30.6.08

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय प्रेस, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सचिव, स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग, झारखण्ड, रॉंची को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ/ सभी संबंधित सिविल सर्जन/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - महानिरीक्षक, अभियोजन, बिहार, पटना/ सभी संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - मंत्री,, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य विभाग के सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ/ संयुक्त सचिव के निजी सहायक/ उप सचिव के निजी सहायक/ विभागीय प्रशाखा पदाधिकारी 2,3 एवं 9/ कम्प्यूटर कोषांग को सूचनार्थ प्रेषित ।

सरकार के उप सचिव